न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1829 दिनांक 17/12/2021

प्रार्थी :-
1.भेराराम पुत्र किशनाराम
जाति जाट, निवासी खारिया डेर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-
1.ताजाराम पुत्र नारणाराम एवं
विप्रार्थी सं. 2 से 27
जातियान जाट,
निवासी खारिया डेर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 93/2021 दिनांक : **17.12.2021**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा खारिया डेर के खेत खसरा सं. 175 रकबा 00.12 बीघा, खसरा सं. 409 रकबा 00.10 बीघा, खसरा सं. 483/176 रकबा 89.12 बीघा, खसरा सं. 497/410 रकबा 101.03 बीघा,भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1830 to 1833 दिनांक 17/12/2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:48:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी भेराराम
3. विप्रार्थीगण ताजाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धोरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चौहटन